संख्या-1/2/2001-का-प्रसको-2007

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ : दिनांक :22 अक्टूबर, 2007

विषयः-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'सूचना का अधिकार' विषय को सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08.10.2001, दिनांक 14.11.2002, दिनांक 04.7.2003 एवं दिनांक 23.4.2007 के कम में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सभी विभागों के आधारभूत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'सूचना के अधिकार' विषय को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशकों/ प्रधानाचार्यो को 'सूचना का अधिकार' विषय से संबंधित पाठ्यकम को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या-1/2/2001(1) का-प्रसको-2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
2. महानिदेशक,दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब,लखनऊ।
3. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव।